

चीन का नया सीमा कानून

प्रलिस के लयि:

चीन और उसके पड़ोसी देश, ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश तथा उसके सीमावर्ती देशों की स्थिति

मेन्स के लयि:

भारत-चीन संबंधों पर चीन के नए सीमा कानून का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी, 2022 से लागू हुआ।

- यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गतरिध अनसुलझा है और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलकर अपने अंतरगत होने का दावा किया है।

प्रमुख बडि

■ चीन के नए सीमा कानून के बारे में:

○ भूमि सीमाओं का परसीमन और सरवेक्षण:

- नया कानून बताता है की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) सीमा को स्पष्ट रूप से चिह्नित करने के लयि अपनी सभी भूमि सीमाओं पर सीमा चिह्न स्थापति करेगा।

○ सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रबंधन और रक्षा:

- पीपुल्स लबिरेशन आर्मी (पीएलए) और चीनी पीपुल्स आरुड पुलसि फोर्स को सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
 - इस ज़िम्मेदारी में अवैध सीमा पार की घटनाओं से नषिटने में स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग करना शामिल है।
 - कानून कसी भी ऐसे पक्ष को सीमा क्षेत्र में ऐसी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है जो "राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालेगा या पड़ोसी देशों के साथ चीन के मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावति करेगा"।
 - यहाँ तक की नागरिकों और स्थानीय संगठनों को भी सीमा के बुनयादी ढाँचे की रक्षा करना अनविर्य है।
 - अंत में कानून युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, ऐसी घटनाएँ जो सीमावर्ती नवासियों की सुरक्षा को खतरा पैदा करती हैं, जैसे- जैविक और रासायनिक दुर्घटनाएँ प्राकृतिक आपदाएँ तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं की स्थिति में सीमा को सील करने का प्रावधान करता है।

○ अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- अपने सीमा-साझा देशों के वषिय पर कानून कहता है की इन देशों के साथ संबंध "समानता और पारस्परिक लाभ" के सिद्धांतों पर आधारति होने चाहयि।
- इसके अलावा, कानून भूमि सीमा प्रबंधन पर बातचीत करने और सीमा संबंधी मुद्दों को हल करने के लयि उक्त देशों के साथ नागरिक एवं सैन्य दोनों संयुक्त समतियों के गठन का प्रावधान करता है।
- कानून यह भी नरिधारति करता है की पीआरसी को भूमि सीमाओं पर संघियों का पालन करना चाहयि, जसि पर उसने संबंधति देशों के साथ हस्ताक्षर कयि हैं और सभी सीमा मुद्दों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहयि।

■ चतिाएँ:

○ चीनी सेना के अपराधों को औपचारिक रूप देना:

- भूमि सीमा कानून का व्यापक उद्देश्य 2020 में एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के पार चीनी सेना के उल्लंघन को कानूनी कवर प्रदान करना और औपचारिक रूप देना है।

○ नागरिक एजेंसियों को प्रोत्साहन:

- कानून नागरिक आबादी के समस्या नषिटान और सीमा क्षेत्र के साथ बेहतर बुनयादी ढाँचे का आव्हान करता है।
 - चीन ने पहले अपनी "नागरिक" आबादी को एलएसी के वविदति हसिसे के साथ की रणनीतिका इस्तेमाल कयि है, जसिके

आधार पर वह इसके सही स्वामित्व का दावा करता है।

- नया कानून ऐसे मामलों को बढ़ा सकता है तथा दोनों देशों के बीच और समस्याएँ पैदा कर सकता है।
- **जल प्रवाह को सीमित करना:**
 - **ब्रह्मपुत्र** या **यारलुंग जंगबो नदी** में जल प्रवाह को सीमित किये जाने भी संभावना है जो चीन से भारत में बहती है क्योंकि कानून के अनुसार "**सीमा पार नदियों और झीलों की स्थिरता की रक्षा के उपाय**" करना ज़रूरी है।
 - चीन जलविद्युत परियोजनाओं के मामले में इस प्रवाधान का हवाला दे सकता है जो भारत में पारस्थितिकि आपदा का कारण बन सकता है और इसे अपनी ओर से एक वैध कार्रवाई बता सकता है।
- **चीन के सीमा विवाद:**
 - चीन की 14 देशों के साथ 22,100 किलोमीटर की भूमि सीमा लगती है।
 - इसने 12 पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद सुलझा लिये हैं।
 - भारत और भूटान दो ऐसे देश हैं जिनके साथ चीन को अभी सीमा समझौतों को अंतिम रूप देना है।
 - चीन और भूटान ने सीमा वार्ता में तेज़ी लाने के लिये तीन चरणों का रोडमैप तैयार करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - भारत-चीन सीमा **वास्तविक नयित्करण रेखा** के साथ 3,488 किलोमीटर की हैं जसिमे से लगभग 400 किलोमीटर में चीन-भूटान विवाद है।



आगे की राह:

- चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों का नामकरण अपने स्वयं के क्षेत्र के रूप में किया गया क्योंकि भारत और चीन LAC के साथ विवादों को सुलझाने के लिये राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर लगे हुए हैं।
- संबंधों को बहाल करने के साथ-साथ सीमाओं पर यथास्थिति को बनाए रखने के लिये आपसी संवेदनशीलता और पछिले समझौतों के पालन की आवश्यकता होगी जो कि पहले से ही मतभेदों की लंबी सूची का वसितार करने वाले अनावश्यक विवादों को उकसाने के बजाय शांति बनाए रखने में सहायक।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस